

विचार बिन्दु

जिसने अकेले रह कर अकेलेपन को जीता उसने सब कुछ जीता। –अज्ञात

सशक्त गांव ही राजस्थान का भविष्य है

राजस्थान केवल रेगिस्तान, किन्ते, झीलें और रंग-बिरंगी संस्कृति का प्रदेश नहीं है, यह गांवों का प्रदेश है। यहां की आत्मा गांवों में बसती है, यहां की अर्थव्यवस्था की जड़ें खेती, पशुपालन, शिल्प और सामूहिक जीवन में गहरी हैं। शहरीकरण और औद्योगिक विकास आवश्यक हैं, परंतु जब तक गांव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल, सड़क, बिजली और डिजिटल सुविधाओं से सशक्त नहीं होंगे, तब तक राज्य का विकास अधूरा रहेगा। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि सशक्त गांव ही राजस्थान का वास्तविक भविष्य है। गांव केवल जनसंख्या के निवास स्थान नहीं हैं, बल्कि वे राज्य की खाद्य सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान, पर्यावरण संतुलन और सामाजिक स्थिरता के आधार हैं। राजस्थान में कृषि क्षेत्र लाखों किसानों और कृषि श्रमिकों को रोजगार देता है, जिससे स्पष्ट है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था राज्य की सबसे बड़ी जीवरेखा है। राजस्थान का गांव विविधता का संगम है। यहां थार के रेगिस्तान के गांव हैं, अरावली की गोद में बसे पहाड़ी गांव हैं, हाड़ौती के उपजाऊ मैदान हैं, मेवाड़ और मारवाड़ के ऐतिहासिक गांव हैं तथा पूर्वी राजस्थान के हर-भरे कृषि क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्र की भूगोलिक परिस्थिति, जल उपलब्धता, फसल पैटर्न, भाषा, रीति-रिवाज और आजीविका के साधन अलग-अलग हैं। इसी विविधता में राज्य की शक्ति भी है और चुनौती भी। एक ही ढांचे या एक ही नीति से सभी गांवों का विकास संभव नहीं है। रेगिस्तानी गांवों में जल प्रबंधन सर्वाधिक है, जबकि कृषि प्रधान क्षेत्रों में सिंचाई, बाजार, भंडारण और कृषि-आधारित उद्योगों को प्रथमिकता देनी होगी। इसलिए सशक्त गांव का अर्थ केवल सड़क और बिजली तक सीमित नहीं होना चाहिए; इसका अर्थ है स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप समठा और टिकाऊ विकास। गांव की सबसे बड़ी समस्या जल की है। राजस्थान जल की कमी वाला राज्य है, जहां वर्षा अनियमित है, भूजल गिरता जा रहा है और कई क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए महिलाओं में बच्चों को किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जल की समस्या केवल प्यास बुझाने की समस्या नहीं है; यह कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी समस्या है। जहां पानी नहीं, वहां फसल नहीं, जहां फसल नहीं, वहां आजीविका नहीं; और जहां आजीविका नहीं, वहां पलायन अनिवार्य हो जाता है। इसलिए गांवों को सशक्त बनाने का पहला कदम जल संरक्षण है। तालाबों, नालों, कुओं, बावड़ियों और चूक डैमों का पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण तथा भूजल पुनर्भरण को ग्राम स्तर पर जन-आंदोलन बनाना होगा। राज्य सरकार ने आगामी वर्षों में हजारों गांवों में लाखों जल संचयन एवं जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे जल संकट से निपटने की दिशा में एक सकारात्मक पहल दिखती है। परंतु ये योजनाएं तभी सफल होंगी, जब ठाम सभा, स्वयंसेवी संस्थाएं, युवा, महिलाएं और किसान इन्हें अपना सकल्प बनाएं। कोटरी गांव जैसे उदाहरण बताते हैं कि तकनीक के साथ सामुदायिक भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही जुड़े तो जल प्रबंधन में स्थायी परिवर्तन संभव है। गांव की दूसरी आधारशिला कृषि है। राजस्थान के किसान बाजार, ज्वार, गेहूं, चना, सरसों, मूंग, मोट, चना, इमरगोल, कपास और मसालों जैसी फसलें उगाते हैं। राज्य कृषि उत्पादन में अग्रणी है, पर किसानों का आय अक्सर उतनी सुरक्षित नहीं होती, जितनी होनी चाहिए। बीज, खाद, बिजली, डीजल, परिवहन और बाजार की लागत बढ़ती रहती है, जबकि उपज का दाम अर्निखत रहता है। सशक्त गांव के लिए कृषि को केवल अनाज उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि आय-वृद्धि का व्यवसाय बनाना होगा। इसके लिए उन्नत बीज, जैविक खाद, ड्रिप सिंचाई, फसल विविधीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, ठंडा भंडारण, किसान उत्पादक संगठन और सीधे बाजार से जुड़ाव आवश्यक हैं। गांवों में कृषि-आधारित लघु उद्योग खड़े हों तो किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और युवाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण, मृदा शिल्प, चमड़ा उद्योग, मधुमक्खी पालन जैसे कार्य रोजगार के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं, जो दशोंति हैं कि गांव में रर-कृषि रोजगार को अपार संभावनाएं मौजूद हैं। पशुपालन राजस्थान की ठाम्नीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़ और बकरियाँ से दूध, घी, ऊन, दूध उत्पाद तथा जैविक खाद प्राप्त होती है। शुष्क क्षेत्रों में जहां फसल बार-बार जोखिम में रहती है, वहां पशुपालन किसानों की आय का प्रमुख सहारा बन सकता है। इसके लिए चारागाहों का विकास, पशु चिकित्सा सेवाएं, दूध संग्रह केंद्र, दूध प्रसंस्करण इकाइयाँ और पशु बीमा आवश्यक हैं। राज्य सरकार की और से ग्राम पंचायत स्तर पर चारागाह विकास आधारित गौशाला या आश्रय स्थल बनाने की पहल भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संतुलन से जोड़ी गई है। ऐसे केंद्रों से कंपोस्ट खाद का उत्पादन होगा, जिससे किसानों को खाद लागत घटेगी और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार पशुपालन केवल धार्मिक या सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि ग्रामीण आय, पोषण और पर्यावरण का व्यावहारिक आधार भी है।

गांव को सशक्त बनाने में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक निर्णायक है। यदि गांव का बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पाता, तो वह विकास का सहभागी नहीं बन पाएगा। राजस्थान के कई गांवों में स्कूल तो हैं, पर शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, डिजिटल साधनों का अभाव और बालिकाओं की शिक्षा में बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं। सशक्त गांव वह है, जहां हर बच्चा स्कूल जाए, हर बालिका को सुरक्षित शिक्षा मिले, हर स्कूल में प्रशिक्षित शिक्षक हों और शिक्षा रोजगार, कौशल तथा आत्मनिर्भरता से जुड़ी हो। गांव के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, संचार चारित्र्य, कृषि तकनीक, स्वास्थ्य जागरूकता और उद्यमिता को शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा केवल डिग्री देने का साधन नहीं, बल्कि गांव

गांव की संस्कृति राजस्थान की पहचान है।

लोकगीत, कथा, भजन, नृत्य, मेले, त्योहार, लोकदेवता, कठपुतली, पप्पूजी की गाथा, मीरा, गोपीचंद, तेजाजी, पाबूजी और रामदेवजी की परंपराएं गांवों में जीवित हैं। ये केवल मनोरंजन के साधन नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों, साहस, सहिष्णुता, पर्यावरण प्रेम और सामूहिकता के वाहक हैं। शहरीकरण और सोशल मीडिया के प्रभाव में यह धरोहर कमजोर हो रही है।

मुख्य कारण है। युवा शिक्षा के बाद रोजगार की तलाश में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अहमदाबाद, मुंबई या दिल्ली जाते हैं। इससे गांव में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे अधिक रह जाते हैं, जबकि युवा ऊर्जा शहरों की ओर प्रवाहित हो जाती है। इसे रोकने के लिए गांवों में रोजगार के नए अवसर बनाने होंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे योजनाओं से ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिलता है। राजस्थान में इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 में लाखों परिवारों को रोजगार दिया गया और करोड़ों मानव-दिवस का सृजन हुआ, जो ग्रामीण आजीविका के लिए महत्वपूर्ण सहाय है। परंतु जगदूरी-आधारित रोजगार के साथ-साथ स्थायी आजीविका भी बनानी होगी। इसके लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र, महिला स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण उद्यमता, ई-कॉमर्स, डिजिटल सेवाएं, पर्यटन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा को गांवों तक ले जाना होगा।

महिला सशक्तिकरण गांव की प्रगति का सबसे तेज मार्ग है। जब गांव की महिला आर्थिक रूप से सक्षम होती है, तो परिवार का पोषण, बच्चों की शिक्षा और समाज का स्वास्थ्य बेहतर होता है। स्वयं सहायता समूहों ने गांवों में महिलाओं को चरत, ऋण, उद्यम और नेतृत्व का अवसर दिया है। राजस्थान में हजारों गांवों में लाखों स्त्रियों सहायता समूह बनाए गए हैं और इनसे लाखों ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए हैं। इन समूहों को केवल बचत समूह नहीं, बल्कि उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और सामाजिक नेतृत्व के केंद्र बनाना चाहिए। महिलाओं को पंचायतों में नामभारा की भागीदारी नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी चाहिए। जब महिला ग्राम सभा में बोलेगी, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों पर आवाज उठाएगी, तब गांव का विकास अधिक संतुलित होगा।

पंचायती राज गांव की लोकतांत्रिक रीढ़ है। ग्राम पंचायत केवल सरकारी योजनाओं को लागू करने वाली इकाई नहीं है; वह गांव की आकांक्षों को नीति में बदलने वाली संस्था है। पंचायत से कई स्थानों पर पंचायतें प्रभावा, अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाती। सशक्त गांव के लिए पारदर्शी पंचायत, सामाजिक अवेक्षण, जन सुनवाई, समयबद्ध कार्य और जनता की सीधी भागीदारी आवश्यक हैं। ग्राम सभा को केवल औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि गांव के विकास का संसद बनाना होगा। जल, चारागाह, वन, सार्वजनिक भूमि और साझा संसाधनों की रक्षा की जिम्मेदारी सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को देनी है। ये संसाधन ग्रामीण आजीविका और पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

पर्यावरण और गांव का संबंध अविभाज्य है। राजस्थान के गांव पीढ़ियों से प्रकृति के साथ जीवन जीते आए हैं। ओरण, गोचर, खेवडी, बांस, बबूल, खेवडी, रोहड़ा और स्थानीय वृक्षों की परंपरा ने गांवों को पर्यावरण से सशक्त सिखाया है। आज जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बढ़ता तापमान, मरुस्थलीकरण और भूजल के गिरते स्तर ने इस संतुलन को चुनौती दी है। सशक्त गांव वह हैं, जहां वृक्षारोपण केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि जीवनशैली हो। स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएं, गोचर और ओरणों की रक्षा हो, गांव जल संचयन हो और प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगे। गांवों में सौर ऊर्जा, जैव गैस, कार्बनिक खेती और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास को पर्यावरण-मित्र बनाया जा सकता है। गांव केवल विकास का उपभोक्ता नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण का सबसे बड़ा संरक्षक बन सकता है।

गांव की संस्कृति राजस्थान की पहचान है। लोकगीत, कथा, भजन, नृत्य, मेले, त्योहार, लोकदेवता, कठपुतली, पप्पूजी की गाथा, मीरा, गोपीचंद, तेजाजी, पाबूजी और रामदेवजी की परंपराएं गांवों में जीवित हैं। ये केवल मनोरंजन के साधन नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों, साहस, सहिष्णुता, पर्यावरण प्रेम और सामूहिकता के वाहक हैं। शहरीकरण और सोशल मीडिया के प्रभाव में यह धरोहर कमजोर हो रही है। सशक्त गांव का विकास सांस्कृतिक विरासत के साथ होना चाहिए। गांवों में लोक कलाकारों को प्रोत्साहन, स्थानीय मेलों का पुनरुद्धार, हस्तशिल्प को बाजार तक पहुंच और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। गांव की मिट्टी, रंग, संगीत और कथाएं ही राजस्थान को विव्व में विशिष्ट बनाती हैं।

गांवों को सशक्त बनाने के लिए नीति और व्यवहार दोनों में परिवर्तन चाहिए। सरकार को योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित नहीं रखनी चाहिए; उनका जमीनी क्रियान्वयन, समयबद्ध समीक्षा और लाभार्थी आधारित मूल्यांकन होना चाहिए। प्रशासन को गांवों की समस्याओं को शहरों के दफ्तरों से नहीं, बल्कि गांव की मिट्टी से समझना होगा। शिक्षक, डॉक्टर, अधिकारी और विकास कर्मियों को गांवों में नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा। स्वयंसेवी संस्थाएं, बैंक, उद्योगपति, शिक्षाविद, कलाकार और प्रवासी राजस्थानी भी गांव के विकास में भागीदार बनें। गांव के युवाओं को केवल सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि स्वरोजगार, कौशल और उद्यमिता की ओर प्रेरित करना होगा। गांव की समस्याओं का समाधान गांव के लोगों के अनुभव, बुद्धि और सामूहिक इच्छाशक्ति में छिपा है।

सशक्त गांव का अर्थ यह नहीं है कि गांव को शहर की नकल बना दिया जाए। गांव की अपनी पहचान, शांति, समुदायिकता, प्रकृति से नाता और सांस्कृतिक गरिमा बनी रहनी चाहिए। सशक्त गांव वह है, जहां व्यक्ति को रोजगार मिले, बच्चे को शिक्षा मिले, महिला को सम्मान मिले, किसान को उचित दाम मिले, बुजुर्गों को सुरक्षा मिले और युवा को गांव में रहकर आय कमाने का अवसर मिले। ऐसा गांव ही पलायन रोकेंगा, परिवार को संभालेगा, खाद्य उत्पादन बढ़ाएगा, पर्यावरण बचाएगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। राजस्थान के विकास की गाथा तभी पूर्ण होगी, जब उसके गांव आत्मनिर्भर, समृद्ध, शिक्षित, स्वस्थ और आत्मविश्वासी बनेंगे।

अंततः यह समझना आवश्यक है कि गांव केवल अतीत की स्मृति नहीं, भविष्य की नींव है। राजस्थान का भविष्य उसके शहरों की ऊंची इमारतों में केवल इसलिए नहीं निहित है, बल्कि उसके गांवों की मेहनत, बुद्धि, संस्कृति और सामूहिक संकल्प में निहित है। जब गांव में पानी होगा, तो खेती होगी; जब खेती होगी, तो रोजगार होगा; जब रोजगार होगा, तो युवा गांव में रहेगा; जब युवा रहेगा, तो गांव विकसित होगा; और जब गांव विकसित होगा, तो राजस्थान सच में सशक्त होगा। इसलिए गांव की प्रगति ही राज्य की प्रगति है, गांव का सम्मान ही राज्य का सम्मान है और सशक्त गांव ही राजस्थान का सुनहरा भविष्य है।

–अतिथि सम्पादक, अविनाश जलोहर, वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉर्पोरेट सेल्फ़हकार



मुकेश दाधीच

लोकतंत्र की वास्तविक सफलता इस बात में निहित होती है कि शासन आम नागरिक के जीवन में कितना बदलाव ला पाता है। क्या सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचता है? क्या नागरिक स्वयं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं? क्या प्रशासन जनता के प्रति अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनता है? क्या नगरिक के रूप में नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की यात्रा को इन सवालों के संदर्भ में देखा जा सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक उनके नेतृत्व की एक प्रमुख विशेषता जनसंवाद, जन कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक अभियानों के माध्यम से नागरिकों को जोड़ने का प्रयास रही है। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई यह यात्रा 7 अक्टूबर 2026 को 25 वर्ष पूरे करने के ऐतिहासिक पड़ाव तक पहुंचेगी। यह अवसर उनके नेतृत्व, प्रशासनिक शैली और देश की विकास यात्रा में उनके योगदान का आकलन करने का है।

वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इससे पहले 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन, कोयला ब्लॉक आवंटन और राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े विवादों के कारण राष्ट्रीय राजनीति में

प्रभाचार और जवाबदेही के सवाल प्रमुखता से उठे थे। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास और व्यवस्था परिवर्तन की मांग ने जनता की अपेक्षाओं को नया स्वर दिया।

इसी पृष्ठभूमि में नरेंद्र मोदी ने विकास, सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को अपने राजनीतिक एजेंडे के प्रमुख आधार के रूप में प्रस्तुत किया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि शासन की चर्चा को केवल घोषणाओं और राजनीतिक वादों तक सीमित रखने के बजाय योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभार्थियों तक पहुंच और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार से जोड़ने पर जोर दिया गया।

नरेंद्र मोदी की शासन शैली की जड़ों को उनके गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में देखा जा सकता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक अभियानों को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया गया। रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने के अपील पर एक करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ी। इसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं, को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में व्यापक पहल की गई। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को केवल सरकारी विभागों का दायित्व मानने के बजाय नागरिक कर्तव्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। वर्ष 2025 के स्वच्छता ही सेवा अभियान में 18.06 करोड़ लोगों की भागीदारी दर्ज होना इस बात का संकेत है कि स्वच्छता जैसे विषय को व्यापक सामाजिक सहभागिता से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया।

इन अभियानों का महत्व केवल उनकी संख्या या पहुंच में नहीं, बल्कि

उस विचार में भी है जिसके तहत नागरिकों को सरकारी प्रयासों के निष्क्रिय लाभार्थी के बजाय परिवर्तन का सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया गया। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना किसी भी कल्याणकारी राज्य की बड़ी चुनौती होती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस चर्चित कथन में इस समस्या को रेखांकित किया गया था कि सरकार द्वारा भेजे गए एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थी तक पहुंचते हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी की व्यवस्था ने इस बहस को एक नया संदर्भ दिया।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 59 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जाने के बाद आधार और डिजिटल भुगतान व्यवस्था के साथ लाभार्थियों तक सहायता सीधे पहुंचाने का माध्यम व्यापक हुआ। अक्टूबर 2026 तक डीबीटी के माध्यम से संघयी हस्तांतरण की राशि लगभग 53.76 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है। साथ ही, प्रशासनिक सुधारों और अपात्र लाभार्थियों को हटाने के कारण विभिन्न योजनाओं में मार्च 2025 तक लगभग 5.14 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित बचत का अनुमान लगाया गया है।

इन आंकड़ों का व्यापक महत्व इस बात में है कि डिजिटल तकनीक और वित्तीय समावेशन को कल्याणकारी शासन के साथ जोड़ने से सरकारी सहायता की पहुंच, भुगतान की निगरानी और सार्वजनिक धन के उपयोग की जवाबदेही को मजबूत करने का अवसर मिला है। व्यवस्था की वास्तविक सफलता का आकलन इस आधार पर भी होना चाहिए कि पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता मिले और तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से कोई जरूरतमंद वंचित न रह जाए।

जनसंवाद को शासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाने में 'मन की बात' कार्यक्रम की विशिष्ट भूमिका रही है। वर्ष

2023 में कार्यक्रम के 100वें एपिसोड से पहले किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 100 करोड़ लोगों तक कार्यक्रम के कम से कम एक बार पहुंचने और करीब 23 करोड़ नियमित श्रोताओं का अनुमान हो चुका है। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ने योग को भारत की सांस्कृतिक विरासत से आगे बढ़ाकर वैश्विक जनभागीदारी का मंच बनाने में योगदान दिया। उपलब्ध सामग्री के अनुसार, वर्ष 2026 में योग संगम पोर्टल पर 780 जिलों में 3.07 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी दर्ज की गई। फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत 23.68 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी हुई है।

'हर घर तिरंगा' और 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे अभियान भी राष्ट्रभावना और पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक सहभागिता से जोड़ने के प्रयास हैं। 31 दिसंबर 2025 तक 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत 262.4 करोड़ पौधे लगाए जाने का आंकड़ा हो चुका है। इन पहलों का उद्देश्य नागरिकों को उन विषयों से जोड़ना है, जिनमें सरकारी नीतियों के साथ व्यक्तिगत व्यवहार और सामूहिक जिम्मेदारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

आर्थिक विकास की व्यापक प्रक्रिया में स्थानीय उत्पादन, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। 'बोका फॉर लोकल' और खादी को प्रोत्साहन देने की अपील ने इन विषयों को राष्ट्रीय विमर्श में प्रमुखता दिलाई। इससे स्थानीय उत्पादों के उपयोग, पारंपरिक उद्योगों और स्वदेशी उद्यमों की संभावनाओं पर चर्चा को बल मिला। खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र का कुल कारोबार वर्ष 2013-14 के 31.15 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 1,87,105 करोड़ रुपये दर्ज हुआ। यह वृद्धि स्थानीय उत्पादों के बाजार विस्तार और इस क्षेत्र की आर्थिक

गतिविधियों के महत्व को रेखांकित करती है।

हालांकि, इस प्रगति को स्थायी बनाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता, आधुनिक तकनीक, बाजार तक पहुंच, ब्रांडिंग और रोजगार सृजन पर निरंतर ध्यान देना भी आवश्यक है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की यात्रा में जनसंवाद, कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार, डिजिटल भुगतान और सामाजिक अभियानों के जरिए नागरिकों को जोड़ने की शैली प्रमुखता से दिखाई देती है। इन प्रयासों ने शासन की प्रथमिकताओं में लाभार्थियों तक सीधी पहुंच, पारदर्शिता और जनभागीदारी को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। फिर भी, किसी भी नेतृत्व की दीर्घकालीन सफलता का मूल्यांकन केवल योजनाओं की घोषणा, आंकड़ों या अभियानों की व्यापकता से नहीं किया जा सकता। इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, रोजगार के अवसर, किसानों की आय, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन और क्षेत्रीय असमानताओं में कमी जैसे परिणामों को भी कसौटी बनाना होगा।

शासन प्रमुख के रूप में नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष इस बात की चर्चा का अवसर है कि लोकतंत्र में नेतृत्व और जनभागीदारी एक-दूसरे के पूरक कैसे बन सकते हैं। सरकार की पहल, प्रशासन की कार्यक्षमता और नागरिकों की सक्रिय भूमिका का समन्वय ही विकास को व्यापक सामाजिक परिवर्तन में बदल सकता है। आगे वाले वर्षों में इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी यही होगी कि सुशासन और जनसहभागिता के ये प्रयास कितनी प्रभावशीलता से प्रत्येक नागरिक को जीवन में बेहतर अवसर, सम्मान और सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

—मुकेश दाधीच, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा राजस्थान

मुफ्त राशन से राष्ट्र नहीं बनेगा

■ चर्च टैक्स की तरह धार्मिक धन पर टैक्स लगे, शिक्षा-स्वास्थ्य-जल मुफ्त मिले और बेरोजगारों को नियमित रोजगार

13 बिलियन यूरो मिलता है। आधार वाइडर संविधान 1919 का अनुच्छेद 137 है। सरकार 2 से 4.5 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क रखती है। स्वीडन में स्काट्रवरकेट, डेनमार्क में स्कैट, फिनलैंड में वेरोहाल्लिन्ते, ऑस्ट्रिया में फिनान्ज़आम्ट यही काम करते हैं। इटली में एजेंज़िया डेले एंट्राटे वसुलती है। स्वीडन में 2 प्रतिशत, ऑस्ट्रिया में 1.5, फिनलैंड में 2 से 2, डेनमार्क में 0.7 से 1.3 प्रतिशत है। किछेंनऑस्ट्रिक कर चर्च छोड़ने पर टैक्स नहीं देना पड़ता।

इससे नियमित रोजगार बनता है। फिनान्ज़आम्ट में चर्च टैक्स के लिए हजारों स्थायी पद हैं। चर्च को मिलने वाले पैसे से जर्मन चर्च 13 लाख लोगों को वेतन देता है, 5,000 से अधिक किंडरगार्टन और स्कूल और 1,000 अस्पताल चलाता है। चर्च सरकार के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। कैरिटास और डियाकोनी में लाखों सामाजिक कार्यकर्ता पेशन वाली नौकरी में हैं। चर्च की व्यावसायिक आय जैसे स्कूल, अस्पताल, प्रकाशन पर कॉपीरेट टैक्स लगता है। इससे अलग निकारागुआ ने 2024 में कानून 822 बदलकर चर्च की आय पर ही टैक्स लगा दिया। अब चढ़ावे पर 10 से 30 प्रतिशत टैक्स चर्च को सरकार को देना होगा, निजी कंपनी की तरह। अर्थात् यूरोप में नागरिक चर्च को टैक्स देता है, निकारागुआ में चर्च सरकार को टैक्स देता है।

श्रीलंका ने तीसरा व्यापपूर्ण मॉडल दिया है। छोटे मंदिरों में प्रवेश निःशुल्क है, पूजा रसिद काउंटर पर कटती है। यूनेस्को महत्व के बड़े स्थलों जैसे दूध टेम्पल कैडी, अनुराधापुरा,

पोलोन्नारवा, सिगिरिया, दांबुला पर अनिवार्य टिकट है। दूध टेम्पल में विदेशी से 3,000 एक्सायर यानी 870 रुपये, सार्क से 2,500 एलकेआर और श्रीलंकाई से शुन्य शुल्क। अनुराधापुरा में 25 से 30 डॉलर टिकट है। पैसा सेंट्रल कल्चरल फंड और डिपार्टमेंट ऑफ कैबिनेटोलॉजी में जाता है जो प्रापृति कार्यालय के अधीन है। इसी से हजारों गाइड, सुरक्षा, सफाई और पुरातत्व कर्मियों को स्थायी नौकरी मिली है। सिद्धांत है स्थानीय भक्त से पैसा नहीं, पर्यटक से शुल्क, लेखा सरकारी खजाने में।

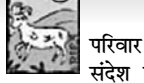
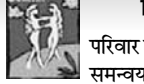
भारत में हिरुपति में 650 करोड़, शिखी में 400 करोड़, वैष्णो देवी में 500 करोड़ सालाना चढ़ावा था। 11 और 12 के तहत छूट है, कोई सार्वजनिक ऑडिट नहीं। एचआरसीई एक्ट के तहत हजारों मंदिर सरकारी नियंत्रण में, मस्जिदें वक्फ बोर्ड और चर्च निजी बोर्ड चलाते हैं, यह अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। 10 लाख शिक्षकों और 15 लाख डॉक्टर-नर्स के पद खाली हैं। सीएमआईई के अनुसार 8 प्रतिशत से अधिक बेरोजगारी है, 45 करोड़ लोग रोजगार चाहिये रह रहे हैं। इसलिए चार कानून चाहिए। पहला, राष्ट्रीय धार्मिक संपत्ति पंजीकरण अधिनियम। अनुच्छेद 25(2) राज्य को धार्मिक संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। 100 करोड़ से अधिक आय वाले हर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का पंजीकरण, ऑडिट और बैलेंस शीट सार्वजनिक हो। दूसरा, भारत में धार्मिक स्थलों में

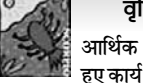
दर्शन के लिए जाने वाले स्थानीय लोगों को मुफ्त प्रवेश मिले। पर जो भी नकद, सोना, चांदी का चढ़ावा करे, उसकी अनिवार्य प्राप्ति रसीद हो और उस रसीद पर ही कर लिखित हो। कानूनी प्रावधान हो। बिना रसीद के कोई दान स्वीकार्य न हो। सोना-चांदी का मूल्यांकन दैनिक बाजार भाव से हो। इससे पारदर्शिता आएगी और काले धन पर रोक लगेगी। तीसरा, श्रद्धालु दान पर लोक कल्याण उपकर। निकारागुआ मॉडल पर 100 करोड़ से अधिक आय वाले ट्रस्टों के चढ़ावे पर 10 प्रतिशत उपकर और 1000 करोड़ ट्रन्सओवर वाले कॉपीरेट पर समान उपकर लगे। सिर्फ 100 बड़े ट्रस्टों से 3,000 से 5,000 करोड़ मिलेगा। यह पैसा अनुच्छेद 266 के तहत अलग शिक्षा-स्वास्थ्य-जल कोष में जाए तो हर जिले में 100 शिक्षक और 50 डॉक्टर की भर्ती संभव है। 75,000 शिक्षक और 37,500 स्वास्थ्य कर्मी बनेंगे। वसूली इनकम टैक्स विभाग करेगा, विभाग में भी हजारों नई पोस्टें बनेंगी। चौथा, श्रीलंका मॉडल से तीर्थ पर्यटन शुल्क। 10 करोड़ पर्यटक, 5,000 रुपये औसत शुल्क से 5,000 करोड़। 100 बड़े तीर्थों पर 20 काउंटर, 20 गाइड, 30 सुरक्षा कर्मी यानी 8,000 स्थानीय स्थायी नौकरियां तुरंत बनेंगी।

निष्कर्ष – मुफ्त राशन से वोट मिल सकता है, राष्ट्र नहीं बनेगा। मुफ्त राशन बॉटने में 2 रुपये का अस्थायी रोजगार बनता है, कर से वेतन वाला स्थायी रोजगार बनता है। राष्ट्र बन बनेगा जब तिजोरियों में बंद अशुद्ध धार्मिक और कॉपीरेट धन संविधान के अनुच्छेद 38, 39 और 47 के हवाले होगा और हर बच्चे को मुफ्त किताब, हर बीमार को मुफ्त पदवा, हर खेत को मुफ्त पानी और हर हाथ को नियमित रोजगार मिलेगा। यही मानव शक्ति का सच्चा सदुपयोग है।

— मदन सिंह काला, पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी

राशिफल शुक्रवार 16 अक्टूबर, 2026	
आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठि तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत-2083, ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः 6:48 तक, शोभन योग रात्रि 10:06 तक, कोलवण करण प्रातः 5:40 तक, चन्द्रमा आश्र प्रातः 6:48 से धनु राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति- सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कर्क, बुध-तुला, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह	
आज कुमार योग प्रातः 6:48 से शनिवार प्रातः 5:55 तक है। आज शुक्र अस्त पश्चिम में प्रातः 8:45 पर होगा। आज छठ पूजन और मेला आमेर है। आज सरस्वती आन्हान प्रातः 6:48 से है। श्रेष्ठ चौघड़िया- चर सूर्योदय से 7:56 तक, लाभ अमृत 7:56 से 10:47 तक, शुभ 12:12 से 1:38 तक, चर 4:29 से सूर्यास्त तक। राहुकाल- 10:30 से 12:00 तक, सूर्योदय 6:30, सूर्यास्त 5:54	

	मेघ परिवार में शुभ-मंगलिक संदेश प्राप्त होगा। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक के हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।
	वृष चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्य में व्यवधान हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।
	मिथुन परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।
	कर्क व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेंगी। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। अनहोनी की आशंका से बचा हुआ मन का भय दूर होगा। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

	सिंह व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
	कन्या घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
	तुला व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में सफलता से मनोबल बढ़ेगा। नौकरपेशा व्यक्तियों को बाहर जाना पड़ सकता है।
	वृश्चिक व्यक्तिगत कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

--